क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक नम्बर 16 एल एल जी के खाता सं. 46/41 प.नं. 7/185 मु.नं. 22 किला नं. 16 ता 25, पं.नं. 6/186 मु.नं. 23 किला नं. 11, 18 ता 24, पं.नं. 7/186 मु.नं. 36 किला नं. 1, 2 कुल खाता 20 किता मे 5.060 है. आराजी में से वादी को 2/7 हिस्सा का एवं चक नं. 15 एल एल जी के खाता सं. 63/65 पं.नं. 8/185 मु.नं. 39 किला नं. 7, 14, 16, 17, 25 कुल खाता 5 किते मे 1.265 है. आराजी मे से वादी को 2/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त आराजी में वादी नाम "राजाराम पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी जोगीवाला" के स्थान पर "राजाराम उर्फ राधेराम पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी जोगीवाला" दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २१.१.२१ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

२१.१.२०२१

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड सादुलशहर